



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2008/भाद्र 19, 1930

No. 494]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2008/BHADRA 19, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 648(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन — भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 में,—

(क) अनुसूची 1 में निम्नलिखित टिप्पण अंत में अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण :— भारतीय आर्थिक सेवा के वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1983, और वर्ष 1984 के बैचों के अकृत्यक चयन श्रेणी अधिकारियों के 48 पद, प्रोन्नत अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने तक या भारतीय आर्थिक सेवा में स्वीकृत ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी पदों के अन्तर्गत आ जाने तक ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उन्नत किए गए हैं, उसके पश्चात् पद वापस अकृत्यक चयन श्रेणी स्तर पर चले जाएंगे।”

(ख) अनुसूची 2 में, टिप्पण (2) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“(3) भारतीय आर्थिक सेवा के वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1983, और वर्ष 1984 के बैचों के अकृत्यक चयन श्रेणी अधिकारियों के 48 पद, प्रोन्नत अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने तक या भारतीय आर्थिक सेवा में स्वीकृत ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी पदों के अन्तर्गत आ जाने तक ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उन्नत किए गए हैं, उसके पश्चात् पद वापस अकृत्यक चयन श्रेणी स्तर पर चले जाएंगे।”

[फा. सं. 11015/2/2008-आई.ई.एस.]

राजन कुमार, निदेशक

टिप्पण :— भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 435(अ) तारीख 6-6-2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2008

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.—In the Indian Economic Service Rules, 2008,—

(a) in Schedule I, the following Note shall be inserted at the end, namely :—

“Note:—48 posts of Non Functional Selection Grade officers belonging to 1981, 1982, 1983 and 1984 batches of Indian Economic Service are upgraded to the Senior Administrative Grade till such time the promoted officers either retire or are covered within the sanctioned Senior Administrative Grade posts in Indian Economic Service, after which, the posts shall slide back to the Non-Functional Selection Grade level.”

(b) in Schedule II, after Note (2), the following Note shall be inserted, namely :—

“(3) 48 posts of Non Functional Selection Grade officers belonging to 1981, 1982, 1983 and 1984 batches of Indian Economic Service are upgraded to the Senior Administrative Grade till such time the promoted officers either retire or are covered within the sanctioned Senior Administrative Grade posts in Indian Economic Service, after which, the posts shall slide back to the Non-Functional Selection Grade level.”

[F. No. 11015/2/2008-IES]

RAJAN KUMAR, Director

Note:—The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India *vide* Notification No. G.S.R. 435(E) dated 6.6.2008.